



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 13/G/OA-31/Harendra Kumar/2024

दिनांक- 04/04/2024

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi.

No.

Date-

**Sub: Joint Committee Report in compliance of order dated 20.02.2024 passed by Hon'ble NGT in OA No 31/2024 Harendra Kumar Versus State of U.P. & Ors.**

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

"..... 6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UP Pollution Control Board, the Chief Medical Officer, Meerut, the Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and the District Magistrate, Meerut, and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 09.04.2024....."

In compliance of the above said order, the factual report of joint committee is attached herewith for kind perusal of Hon'ble Tribunal please. The above report is being submitted with the approval of competent authority.

With regards.

Enclosure: As above

Yours faithfully

*B. Prakash Yadav*

(Bhuvan Prakash Yadav)  
Regional Officer

**JOINT INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO HON'BLE NGT ORDER  
DATED 20.02.2024 IN THE ORIGINAL APPLICATION NO. 31 OF 2024,  
HARENDER KUMAR VS STATE OF U.P. & Ors.**

---

**Background-**

Hon'ble NGT in its Order Dated 20.02.2024 in Original Application No. 31 of 2024, Harender Kumar Vs State of U.P. & Ors., which is registered on the basis of letter petition filed by complainant Harender Kumar. Order of the Hon'ble Tribunal is as below:-

...." 5. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh, through its Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) UP Pollution Control Board, through its Member Secretary, (3) the District Magistrate, Meerut, (4) the Chief Medical Officer, Meerut and (5) M/s New Yashoda Hospital, Gadh Road, Meerut who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 5 requiring them to file their reply/response within two months by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of UP Pollution Control Board, the Chief Medical Officer, Meerut, the Commissioner, Municipal Corporation, Meerut and the District Magistrate, Meerut, and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 09.04.2024."....

**Inspection of site and observation:-**

Inspection of the alleged hospital M/s New Yashoda Hospital, Raj Nagar Colony, Garh Road, Meerut is carried out on 12.03.2024 during inspection, hospital M/s New Yashoda Hospital was found locked. No any activity is being carried out in the hospital (Photograph attached).

Earlier hospital with 10 beds capacity was operated by Shri Naveen Tyagi S/o Late Shri Dharendra Tyagi, R/o Village Bihuni, Tehsil and Distt.- Hapur in the rented building of approx. 350 Sq. Meter area. Copy of the rent agreement is attached as **Annexure- 01**. Map of the building is approved by Meerut Development Authority vide Map no. 90/98. As per the zoning regulation of Meerut Master Plan 2021, Nursing homes up to 20 beds are allowed in said locality. Copy of the document regarding map approval is attached as **Annexure- 02**. Sewage generated from the area is discharged into public sewer which is treated through common STP operated by Meerut Development Authority.

Hospital M/s Shree Yashoda Hospital and Trauma Centre, Raj Nagar Colony, Garh Road, Meerut has obtained Authorization under Bio-medical Waste Management Rules for the period up to 31.12.2023 for the disposal of Bio-medical Waste through Authorized CBWTF. Further Authorization has not been issued to the said hospital. Copy of the Authorization is attached as **Annexure- 03**.

The said hospital M/s New Yashoda Hospital, Raj Nagar Colony, Garh Road, Meerut has obtained the fire safety NOC and operated with above new/changed name. copy of the NOC is attached as **Annexure- 04**.



In context to the complaint, hospital was inspected by the officials of Medical department, Meerut and issued notice on 26.08.2023 for the clarification of discrepancies found in the inspection. Further due to non-compliance of medical regulations registration of the said hospital M/s New Yashoda Hospital, Raj Nagar


Colony, Garh Road, Meerut has been revoked/cancelled by Chief Medical Officer, Meerut vide order dated 25.11.2023. Copy of the order is attached as **Annexure- 05**. Hospital is closed in compliance of the above said order.

**Findings:-**

1. Hospital is closed since November 2023.
2. Earlier hospital was operated with less capacity (up to 10 beds) obtaining the permission from CMO, Meerut and BMW Authorization for the Bio-medical Waste disposal.
3. As the hospital is lying closed since November, 2023 no Water and Air Pollution was observed.
4. No serious or communicable diseases reported due operation of said hospital.

Factual report of the issued raised in the complaint is for kind consideration.

K. D. Kandarkar, Sub-divisional Magistrate, Meerut	
Satish Kumar, Nayab Tahseeldar, Meerut	
Dr. Javed Hussain, Dy. C.M.O., Meerut	
Yogesh Kumar Mishra, A.E.E. U.P.P.C.B., Meerut	



new yashoda hospital garh road meerut  
03-12-2024 12:04  
Accuracy: 1.8m  
Elevation: 229.19m  
Longitude: 77.757053  
Latitude: 28.953437



Note: new yashoda hospital garh road meerut  
Time: 03-12-2024 12:02  
Accuracy: 2.1m  
Elevation: 226.79m  
Longitude: 77.75697  
Latitude: 28.953472

7423

INDIA NON JUDICIAL  
Government of Uttar Pradesh



## e-Stamp

Certificate No. : IN-UP11162022785191S  
 Certificate Issued Date : 29-Oct-2020 03:08 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14130304/ MEERUT/ UP-MRT  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1413030416156167143392S  
 Purchased by : NAVEEN TYAGI  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : PROPERTY AREA OF 446.76 WAG METER AT PRESENT RAJ NAGAR COLONEY GARH ROAD MEERUT  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : RAVIKANT SHUKLA  
 Second Party : NAVEEN TYAGI  
 Stamp Duty Paid By : NAVEEN TYAGI  
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 2,02,000  
 (Two Lakh Two Thousand only)

E-STAMP

E-STAMP

LOCKED



Please write or type below this line.

रविकान्त

Naveen

0010578276



## Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in using the unique ID.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as mentioned on the website / Mobile app should be reported.
3. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Grievance Redress Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

RS: 5000

पाँच ह

RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR

नवीन कुमार शर्मा  
दस्तावेज  
मेरठ (पुणे)

रविकान्त नवीन कुमार शर्मा  
दस्तावेज लेखक  
मेरठ (पुणे)

DH 971569

किरायानामा 10 वर्ष

स्टाम्प शुल्क अंकन 2,52,500/- रुपये।

औसत वार्षिक किराया अंकन 15,75,865.50/ रुपये।

कुल देय स्टाम्प में से अंकन 2,02,000/- रुपये का ईस्टाम्प UP-UP111620227851915


हमकि श्री रविकान्त शुक्ला पुत्र श्री हरीशंकर शुक्ला निवासी मौहल्ला राजनगर कालोनी  
गढ रोड मेरठ (पिन नं० ANHPR8196A, आधार नम्बर 7968 5632 4442  
मो० नं०-9412802203—प्रथम पक्ष(सम्पत्ति मालिक)

व

श्री नवीन त्यागी पुत्र स्व० श्री धीरेन्द्र त्यागी निवासी ग्राम बिहुनी तहसील व जिला  
हापुड (पिन नं० AEXPT7687R, आधार नम्बर 2907 8841 1645 मो० नं०-  
9927074360—द्वितीय पक्ष(किरायेदार)

रविकान्त

Notary



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 974004

-3-

जो कि एक सम्पत्ति क्षेत्रफल 446.76 वर्ग मीटर जिसमें तीन कमरे आगे की तरफ दो दुकाने मालिक के पास व शेष में एक हॉल व बेसमेन्ट बना है तथा म छत प्रथम तल के कुछ भाग पर एक हॉल व एक कमरा बना है स्थित राजनगर मित्रलोक कालोनी के सामने गठ रोड मेरठ है उक्त सम्पत्ति के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतः मालिक व काबिज हूँ जो प्रथम पक्ष की ओर से हर प्रकार के ऋण व भार आदि से मुक्त तथा रहित है द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से उक्त सम्पत्ति को किराये पर प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है, जिसके लिये प्रथम पक्ष मालिक ने स्वीकृति प्रदान कर दी है प्रथम पक्ष मालिक ने उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष किरायेदार को वास्ते हास्पिटल संचालन हेतु किराया अंकन 1,10,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर देना स्वीकृत किया है उक्त मूल किराये में प्रत्येक तीन वर्ष बाद 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी अर्थात् एक से तीन वर्ष हेतु अंकन 1,10,000/- रुपये प्रति माह उसके पश्चात द्वितीय वर्ष तीन वर्ष अर्थात् (चार से छः वर्ष) के लिये किराये की राशि 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अंकन 1,26,500/- रुपये प्रति वर्ग व उसके पश्चात तृतीय तीन वर्ष अर्थात् (सात से नौ वर्ष) के लिये किराये की राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अंकन 1,45,475/- रुपये प्रति माह व उसके पश्चात शेष दसवें वर्ष

शिवे आन



16/10/20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 974005


-4-

के लिये किराये की राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अंकन 1,67,297/- रुपये प्रति माह किराये पर लेने की इच्छा प्रकट की है जिसको प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है और उक्त सम्पत्ति की किरायदारी अवधि 10 वर्ष के लिये निर्धारित की गयी है और जो किरायेदारी दिनांक 01-12-2020 ई0 से शुरू होगी जो आगामी 10 वर्ष तक चलती रहेगी जिसके लिये दोनों पक्ष उनके उत्तराधिकारी निम्न शर्तों के पाबन्द होते है:-

1. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच उक्त सम्पत्ति का किराया अंकन 1,10,000/- रुपये माहवार रहेगा तथा प्रत्येक माह का किराया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को एडवांस 1 से 5 तारीख तक एकाउन्ट पेय चैक या आर0टी0जी0एस0 द्वारा अदा करते रहेगे।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को केवल हास्पिटल संचालन के लिये किराये पर ले रहे है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार ने प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति को अंकन 2,00,000/- रुपये नकद विभिन्न तिथियो में व अंकन 5,00,000/- रुपये का इस प्रकार की एक एकाउन्ट पेयी चैक संख्या 000034 अदाकर्ता कोटक

सवि आन्व





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 974006


-5-

महेन्द्रा बैंक शाखा मंगलपाण्डेनगर मेरठ दिनांकित 28-10-2020 ई0 के माध्यम से बतौर एडवांस समायोजित होने वाली सिक्योरिटी के रूप में अदा कर रहे है उक्त रकम सिक्योरिटी किराये की अवधि के आखिरी महीनो में किराये की राशि में समायोजित हो जायेगी यदि किरायेदारी खाली करते समय कोई बिजली पानी या अन्य कोई भी ड्यूज द्वितीय पक्ष किरायेदार की ओर शेष होगी तो उक्त सिक्योरिटी मनी में से शेष धनराशि भी सामायोजित होगी।

4. यह कि यदि छः माह का लगातार किराया अदा नहीं किया तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष किरायेदार बिना किसी लिहाज किसी भी मियाद काबिले बेदखली होगा। जिसमें किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। 5. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति में हास्पिटल के लिये मेडिकल स्टोर व अन्य सुविधाओं जैसे पैथोलॉजी लैब व अल्ट्रासाउण्ड के भी अधिकार अपने पास रखेगे व संचालित कर सकते है या करा सकते है। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

6. यह कि प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगे परन्तु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष आपसी सहमति से आवश्यकतनुसार सम्पत्ति में निर्माण कर

रविचान्द



Naveen



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 971579

-6-

सकेगे यदि द्वितीय पक्ष को अपने कारोबार से सम्बन्धित किसी निर्माण की आवश्यकता होगी तो वह स्वयं अपनी लागत से निर्माण कर सकेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी व यदि द्वितीय पक्ष प्रथम तल पर टीनशेड डालकर कोई भी पार्टिशन करते है तो प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी

7. यह कि पानी के पम्प की व्यवस्था प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति ने की है लेकिन उसके मैन्टीनेन्स व यदि भविष्य में कोई जलकर लगता है तो उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष किरायेदार की रहेगी इसके साथ-साथ सालाना लिपाई, पुताई व सफाई व अन्य कोई भी टैक्स यदि भविष्य में अस्पताल पर लगता होगा या सर्विस टैक्स आदि जो भी होगा उन सभी को द्वितीय पक्ष किरायेदार अलावा किराये के स्वयं चुकता करेगे।

8. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त सम्पत्ति में किसी को भी शिकमी किरायेदार के रूप में नहीं रख सकेगे और ना ही किसी भी शख्स को सबलैट आदि कर सकेगे और ना ही किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप आदि करके किसी अन्य को उक्त सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित कर सकेगे यदि द्वितीय

रवि शान्त



Navem



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

26 OCT 2020  
Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA


प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 971580

-7-

- पक्ष किरायेदार इस शर्त का उल्लंघन करते है तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष किरायेदार व वह व्यक्ति जिसे कब्जा ट्रांसफर किया गया हो बिना किसी मियाद के बन्धन को मानते हुए तत्काल किराये पर दी गयी सम्पत्ति से काबिले बेदखली होंगे जिसमें द्वितीय पक्ष किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि उक्त सम्पत्ति का गृहकर अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तथा उक्त सम्पत्ति में जो विद्युत का कनेक्शन लगा है द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकतानुसार उक्त कनेक्शन का भार सम्बन्धित विभाग से कम या ज्यादा कराकर प्रयोग कर सकेगे तथा सम्पत्ति खाली करने से पूर्व समस्त बिजली का बिल द्वितीय पक्ष अदा करने के पाबन्द रहेंगे। बिजली का बिल किराये के अतिरिक्त देय होगा। बिजली का भार घटाने व बढ़ाने से सम्बन्धित जो भी खर्च होगा उसे द्वितीय पक्ष किरायेदार स्वयं वहन करेगे।
10. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार के कारणों वश अर्थात हास्पिटल से सम्बन्धित कारणोंवश यदि मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कोई देय या खर्च उक्त सम्पत्ति पर पडता है तो इसको पूर्णतया अदा करने की जिम्मेदारी केवल

रवि चान्द



Naureen





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


DH 971581

-8-

द्वितीय पक्ष किरायेदार की रहेगी प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति से उसका लेना देना किसी प्रकार भी का नहीं होगा।


11. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति में हास्पिटल के अलावा कोई भी अवैधानिक/अनैतिक कार्य नहीं करेगा। यदि ऐसी कोई गतिविधि संचालित पाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
12. यह कि किरायेदारी की अवधि में उक्त किराये पर दी गई सम्पत्ति में कोई दुर्घटना या हादसा हो जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदेई व उक्त वाद विवाद को पूर्णतया आखिर तक निपटाने की जिम्मेदारी केवल द्वितीय पक्ष किरायेदार की रहेगी। प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति का कोई सरोकार या लेना देना उससे नहीं होगा। जिसमें द्वितीय पक्ष किरायेदार व उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी।
13. यह कि किरायेदारी की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष तक अवश्य रहेगी इसके पश्चात यदि पक्षगण चाहेंगे तो आपसी पूर्ण सहमति व रजामन्दी से इस विलेख को कन्सिल करा सकेंगे तथा उक्त सम्पत्ति को कतई खाली का कब्जा प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति को वापस सुपूर्द करके किरायेदारी समाप्त कर सकेंगे जिसमें

रवि शान्द



Naveen





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 974014

-9-

किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस किरायेनामे का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष किरायेदार ने वहन किया है।


14. यह कि उक्त सम्पत्ति में गठ रोड की तरफ दो दुकाने बनी है जिसमें प्रथम पक्ष ने बाई तरफ की दोनों दुकाने अपने पास रखने की इच्छा जाहिर की है जो द्वितीय पक्ष को स्वीकार है। जिसका किरायेदारी से कोई सम्बन्ध नहीं है और वह प्रथम पक्ष के कब्जे में ही रहेगी। जिसमें प्रथम पक्ष हास्पिटल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा और न ही किसी शोर सराबे हेतु किराये पर देगा। प्रथम पक्ष उक्त दुकान को किसी को भी किराये पर नहीं देगा और ना ही कोई मेडिकल स्टोर केन्टिन या हास्पिटल से सम्बन्धित कार्य करेगा दुकान का रास्ता बाहर गठ रोड से होगा अन्दर से दुकान का कोई रास्ता नहीं होगा तथा द्वितीय पक्ष किरायेदार उक्त भूतल वाली दुकान के आगे पार्किंग व जरनेटर इस प्रकार रखेगा की प्रथम पक्ष मालिक की उक्त दो दुकानों के सामने कोई अवरोध उत्पन्न न हो और इसी प्रकार प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को दिये गये बिल्डिंग पोरशन के सामने किसी प्रकार का कोई

स्वि कान्ट



Naucal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DH 974015

-10-

- सामन या पार्किंग आदि नहीं करेगे जिससे हास्पिटल गेट या दुकान के सामने का रास्ता बाधित हो।
15. यह कि प्रक्षणा ने इस किरायेनाम पर अपने दस्तखत गवाहान के सामने किये है और गवाहान ने अपने हस्ताक्षर पक्षगण के सामने किये है तथा इस किरायेदारी विलेख में वर्णित किरायेदारी की आवधि 10 वर्ष समाप्त होने पर यह किरायेदार विलेख स्वतः ही समाप्त हो जायेगा तथा किरायेदारी अवधि समाप्ति पर तत्काल द्वितीय पक्ष किरायेदार किरायेदारी वाले भाग को पूर्ण रूप से खाली करके उसका पूर्ण व वास्तविक आधिपत्य शान्तिपूर्वक प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति को सौंप देगे अन्यथा प्रथम पक्ष मालिक सम्पत्ति को अधिकार रहेगा कि वह द्वितीय पक्ष के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करके कब्जा मय हर्जा खर्चा आदि प्राप्त कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष किरायेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. यह कि यहाँ यह तथ्य भी आवश्यक रूप से उल्लेखनीय है कि यदि द्वितीय पक्ष किरायेदार अपने कारोबार के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई ऋण किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था किसी सरकारी विभाग अथवा किसी प्राइवेट वित्तीय

रवि आनन्द



Naveen



10/28/2020

आवेदन संख्या: 20200874662

पंजीकरण शुल्क: 63500

प्रतिलिपिकरण शुल्क: 80

बाजारी मूल्य: 0

स्टाम्प शुल्क: 700000

रजिस्ट्रेशन संख्या: 7423

वर्ष: 2020

पदा अनुबंध विलेख



बही सं: 1


रजिस्ट्रेशन सं: 7423

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 700000 स्टाम्प शुल्क- 252500 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क - 63500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 63580

श्री रविकान्त शुक्ला,  
पुत्र श्री हरीशंकर शुक्ला  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: मौहल्ला राजनगर कालोनी गढ रोड मेरठ

रविकान्त




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/10/2020 एव 03:42:06  
PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रविकान्त

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द श्रीवास्तव  
उप निबंधक : सदर प्रथम  
मेरठ  
28/10/2020  
सिद्धि पाल  
निबंधक लिपिक



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।  
 पत्रांक सं० 349/2022-D/2022 दिनांक 16/4/2022

प्रेषक,

जोनल अधिकारी जोन-डी,  
 मेरठ विकास प्राधिकरण  
 मेरठ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,  
 मेरठ।


विषय:- न्यू यशोदा हॉस्पिटल के भू-उपयोग/स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी मेरठ के पत्र संख्या-सीएमओ/निजी0पंजी0/2022/1683 दिनांक 11.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा श्री हरिशंकर शुक्ला पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा गढ रोड पर लगभग-350 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर मानचित्र संख्या-90/98 आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराकर भवन का निर्माण करने के सम्बन्ध में है, जिस पर श्री यशोदा हॉस्पिटल के नाम से पंजीकरण कराया गया था जिसे आपके द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में भू-स्वामी द्वारा न्यू यशोदा हॉस्पिटल के नाम से पंजीकरण के सम्बन्ध में स्थलीय भू-उपयोग व स्वीकृत मानचित्र के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री हरिशंकर शुक्ला पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण द्वारा ग्राम दतावली गेसुपुर पर लगभग-350 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ में मानचित्र संख्या-90/98 आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराकर भवन का निर्माण किया गया है। मेरठ महायोजना-2021 की जोनिंग रेगुलेशन के प्रस्तर 5.2.1 पर उल्लिखित है कि आवासीय भू-उपयोग में नर्सिंग होम क्रिया 20 शैक्युआओं तक अनुमत्य है।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

  
 जोनल अधिकारी जोन-डी  
 मेरठ विकास प्राधिकरण  
 मेरठ।



## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone :2400852, 2400851, Fax:0651- 2400850

<http://www.uppcb.com/>

### FORM III (See Rule 10) AUTHORISATION

(AUTHORISATION FOR OPERATING A FACILITY FOR COLLECTION, RECEPTION, TREATMENT, STORAGE, TRANSPORT AND DISPOSAL OF BIOMEDICAL WASTES)

- File no. of authorisation and date of issue: No:- 11661230 and Date:-23/03/2021
- M/s SHREE YASHODA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE, NAVEEN TYAGI an occupier or operator of the facility located at RAJ NAGAR COLONY GARH ROAD MEERUT, MEERUT, 250004 is hereby granted an authorisation for:

Generation, segregation



Collection



Storage



Transportation

Reception



Use

Recycling

Offering for sale

Packaging

Transfer

Treatment or Processing or Conversion

Disposal or destruction

Any other form of handling

- M/s SHREE YASHODA HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE is hereby authorized for handling of biomedical waste as per the capacity given below:

- Number of beds of HCF: 10
- Number of health care facilities covered by CBMWTF: 50 Patients per month
- Installed treatment and disposal capacity: yes
- Area or distance covered by CBMWTF: ....
- Quantity of Biomedical waste handled, treated or disposed: 10KG/month

4. This authorisation shall be in force for a period of 31/12/2023 Years from the date of issue.

4.1 The authorization shall be valid for till 31/12/2023

5. This authorisation is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986

Date: 23/03/2021  
Place: RAJ NAGAR COLONY GARH ROAD  
MEERUT, MEERUT, 250004

YOGENDR Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR  
A KUMAR Date: 2021.03.23  
15:55:06 +05'30'  
Dr. Yogendra Kumar  
Regional Officer

#### Terms and Conditions of Authorisation

1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.
2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the prescribed authority.
3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.
5. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.
6. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order

#### Specific Conditions:

- 1-Hospital ensure that the trade effluent should not be generated.
- 2-Hospital ensure the compliance of directions given by the Board Time to time.
- 3-Hospital ensure the compliance of BMW Management rules 2016.

Memo No.: 11661230

Dated:23/03/2021

Copy To:

YOGENDR Digitally signed by  
YOGENDRA KUMAR  
A KUMAR Date: 2021.03.23  
15:55:15 +05'30'  
Dr. Yogendra Kumar  
Regional Officer

पार-पत्र (संलग्नक-6)

## अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पू.आईडी संख्या: UPFS/2022/46485/MRT/MEERUT/635/CFO

दिनांक: 21-03-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स New Yashoda Hospital and Trauma Center (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता Raj Nagar Colony Garh Road Meerut, Raj Nagar Colony Garh Road Meerut, Meerut तहसील - Meerut Sadar, प्लॉट एरिया 366.52 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 596.50 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	2	1	07.30 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स New Yashoda Hospital and Trauma Center द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 24-03-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री Naveen Tyagi के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन की अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Institution के अन्तर्गत वैधता तिथि 24-03-2022 से 23-03-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करत हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स New Yashoda Hospital and Trauma Center अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स New Yashoda Hospital and Trauma Center अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित निरीक्षण के अनुसार शासनादेश संख्या-18/छ:-पु०-8-2022/905(34)/2016टी०सी० दिनांक 07.01.2022 के अनुसार सटैबैक, स्टेयरकेस व लैण्डयूज के सम्बन्ध सत्ताप्राधिकारी द्वारा निर्णय भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार लिया जायेगा।

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।”

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(SANTOSH KUMAR RAI)

(85A104D63E7672F6A4B15F7FD64296604910C9BB)

24-03-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-03-2022  
स्थान : MEERUT

## कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।

पत्रांक: सीएमओ/निजीचि०पंजी० सैल/2023-24/9522

दिनांक: 25/11/2023

प्रबन्धक/संचालक,  
न्यू यशोदा हॉस्पिटल,  
मित्रलोक कालोनी के सामने,  
गढ़ रोड़, मेरठ।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में ओवर बिलिंग तथा इलाज में लापरवाही की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के चलते आपके चिकित्सालय में तैनात आर०एम०ओ० चिकित्सक को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 02.11.2023 को आहूत की गयी बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। परन्तु आपके चिकित्सालय में तैनात आर०एम०ओ० उक्त बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा पंजीकरण में दर्शाये गये आर०एम०ओ० चिकित्सक चिकित्सालय में आपकी सेवायें नहीं दे रहे हैं। पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके चिकित्सालय में आर०एम०ओ० की उपलब्ध हेतु दो माह का समय दिया गया था।

उपरोक्त के चलते अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक सीएमओ/निजीचि०पंजी० सैल/2023-24/9015 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा आपके चिकित्सालय का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए आपको निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जब तक आपके चिकित्सालय में आर०एम०ओ० चिकित्सक की उपलब्धता ना हो तब तक आप चिकित्सालय में किसी भी प्रकार का चिकित्सीय कार्य नहीं करेंगे। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक भी अपने चिकित्सालय में तैनात आर०एम०ओ० चिकित्सक की उपस्थित दर्ज नहीं करायी गयी है ना ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा भेजे गये नोटिस का स्पष्टीकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः आपके चिकित्सालय का पंजीकरण तत्काल प्रभाव ने निरस्त करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को अन्य पंजीकृत चिकित्सालय में शिफ्ट कराते हुए भर्ती मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक को पंजीकरण के निरस्तीकरण की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
मेरठ।

दिनांक: /11/2023

पत्रांक: सीएमओ/निजीचि०पंजी० सैल/2023-24/9523

प्रतिलिपि- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
मेरठ।

## कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ।

पत्रांक: सीएमओ/निजीचि०पंजी० सैल/2023-24/- 7024

दिनांक: 26/08/23

प्रबन्धक/संचालक,  
न्यू यशोदा हॉस्पिटल,  
गढ़ रोड़, मेरठ।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित चिकित्साधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2023 को आपके चिकित्सालय का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके चिकित्सालय में 04 मरीज भर्ती थे जिसमें से 01 मरीज फहीमा जिसका इलाज डा० अरुण सोम द्वारा किया जा रहा था। दूसरा मरीज अमित जिसका ऑप्रेसन डा० हर्ष द्वारा होना पाया गया तथा तीसरे मरीज वन्दना को डा० अरुण सोम द्वारा देखा गया था। चौथे मरीज श्रीमती रामेश्वरी का ऑप्रेसन डा० चन्दन कुमार द्वारा डेढ माह पूर्व किया गया परन्तु मरीज पुनः पेट दर्द के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने के उपरान्त किसी भी चिकित्सक द्वारा मरीज को नहीं देखा गया। चिकित्सालय के पंजीकरण में दर्शाये गये प्रशिक्षित चिकित्सक एवं प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं पाया गया। चिकित्सालय में पूछताछ पटल पर चिकित्सकों के नाम तथा विशेषज्ञता तथा चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की रेट लिस्ट की सूची चस्पा नहीं पायी गयी जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनेकों बार निर्देशित किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके चिकित्सालय के विरुद्ध की गयी कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

  
मुख्य चिकित्साधिकारी  
मेरठ।  
w

